न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—274 / 2021 / 223 आर.टी.एक्ट (2021 / 274)

हरिसिंह पुत्र देवी सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—

1. पतासी पत्नी हरिसिंह
2. इंद्रा पुत्री हरिसिंह
3. सुरेश पुत्र हरिसिंह
4. मतरा पुत्री हरिसिंह
5. प्रभा पुत्री हरिसिंह
6. श्यामसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावत,निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिए सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
3. पन्ना पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम मंगरी राजगढ तहसील, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 53 / 2021

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, हरिसिंह गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
3. श्री राघवेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः—20.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, द्वारा प्रकरण संख्या 53 / 2021 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 28.10.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी संख्या 1 से 6 / वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम राजगढ में स्थित है जिसका चौसाला खसरा नम्बर 5430 रकबा 4—18—0, 5433 रकबा 8—9—0 के वर्किंग खसरा नम्बर 6306 रकबा 4—18—0, 6309 रकबा 8—9—0 के हाल खसरा नम्बर 2578 / 3115 रकबा 0.79, 2591 रकबा 1.37 पर वादीगण के पति / पिता हरिसिंह उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू दिनांक से पूर्व ही काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी काबिज काश्त होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

के कारण राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1957 के तहत उन्हें दिनांक 09.07.1984 को नियमानुसार आवंटन की गई किंतु उक्त आवंटन की पालना में राजस्व कार्मिकों द्वारा जमाबंदी में अमल दरामद नहीं किया गया। आवंटन दिनांक से वादीगण/पूर्वज उक्त आराजी पर काविज काश्त चले आ रहे है। हाल जमाबंदी बनाते समय आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम दर्ज नहीं कर त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। वादीगण के पति/पिता को हुए उक्त आवंटन को किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं दी है। साथ ही उक्त आवंटन निरस्त नहीं किया गया है। आवंटन आज दिनांक तक बहाल है। अतः हाल खसरा नम्बर 2578/3115 रकबा 0.79, 2591 रकबा 1.37 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावें वाद पत्र रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। राजस्थान सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि साविक खसरा नम्बर व हाल नम्बर सिवायचक दर्ज है। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है एवं उक्त वाद डिक्री करते हुए अपीलार्थीगण को गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड कर दी गई जबकि अपीलार्थीगण द्वारा खातेदार काश्तकारी हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया था।जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 53/2021 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 28.10.2021 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र डिक्री करते हुए अपीलार्थी की आराजी मुतनाजा पर कब्जा वादीगण का ही है उक्त आराजी हरि सिंह को 1984 में आवंटित हुई थी, के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में 14(4) का प्रकरण विचाराधीन नही है तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा पत्र के साथ मौका पर्चा भी सलंग्न किया जिसके अनुसार भी कब्जा वादीगण ही बताया गया है। उक्तानुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा का विधिवत आंवटन हरिसिंह पुत्र देवी को हुआ है। आवंटन आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त यावत् कोई दस्तावेजात राजस्थान सरकार पैरोकार ने प्रस्तुत नहीं किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नहीं किया जाता है तब तक आवंटन वैध होता है। जिसको उपरोक्त अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानो के विपरीत तथा न्याय, नियम सिद्धान्त के विपरीत पारित किया है।वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने एवं उक्त आराजीयात की खातेदारी राजस्व अभिलेखो में प्रदान नहीं की गयी साथ ही अपीलार्थी के आवंटन आदेश की पालना में तत्समय वर्किंग जमाबंदी में नही की गयी एवं उक्त आवंटन आदेश की पालना में ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2021 को वाद खारिज किये जाने से वादीगण/अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किया जाकर दावाकृत भूमि का अपीलार्थी को खातेदार दर्ज किया जावें। इस आशय की खातेदारी उद्घोषणा पारित की जावे तथा अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जारी करने की कृपा करावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नही है

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

क्योंकि जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांकःक.अ. /राजस्व/एफ0–12(सी(2)13/291 दिनांक 27.09.2013 को विधिवत रूप से प्राधिकरण को हस्तातंरित की गई थी तथा वादीगण द्वारा उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया था तथा अपीलांट उक्त आराजीयात बाबत् अपील में बतौर अनुतोष खातेदारी उद्घोषणा चाहते है जो विधि विरूद्ध है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि राजकीय अभिभाषक द्वारा की गयी बहस को हमारी बहस मानते हुए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या03 ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के पक्ष में एक आवेदन दिनांक 19.08.2004 को जरिये जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अजमेर के मार्फत जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष भी वास्ते राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद दुरूत करने हेतु प्रेषित किया गया जिस पर दिनांक 21.08.2008 को जिला कलक्टर, अजमेर ने उचित कार्यवाही करने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष आदेशिक किया जिसके बाद चली कार्यवाही में बनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.10.2008 एवं 18.11.2008 से प्रत्यर्थी संख्या 07 एवं हल्का पटवारी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 03 का ही कब्जा काश्त एवं पक्का निर्माण होना अंकित किया है जिस कारण राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जाकर रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है फिर भी प्रार्थी के नाम का अंकन जमाबंदी में खातेदारी में अंकित नहीं कर जो वाद डिक्री करने बाबत् जो कार्यवाही की गई वह अवैध है। राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदियो, खसरा गिरदावरियों, लगान रसीदो, मौका रिपोर्ट एवं बेदखली की कार्यवाही से कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट संख्या 03 का बखुबी साबित है तथा वादीगण ग्राम राजगढ़ के निवासी नही है इस कारण उक्त आवंटन संभव नहीं है उक्त समस्त दस्तावेजो एवं तथ्यों को छुपाकर प्रत्यर्थीगण ने जो वाद डिक्री करवाया है वह न्यायिक दृष्टांत 2015 आर.आर.टी. पेज 534 से बाधित है। वादीगण आवंटन आदेश की पालना नहीं करने के आधार पर वाद लाये है जबकि आवंटन हेतु पृथक से नियम है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् लागू होते है तथा आंवटन आदेश की पालना हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद वाद नहीं लाया जा सकता है। अपीलांट उक्त आराजीयात बाबत् अपील में बतौर अनुतोष खातेदारी उद्घोषणा चाहते है जो विधि विरूद्ध है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

8. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि विवादित आराजी बाबत् सिविल न्यायालय जैर विचाराधीन प्रकरण 47/2019 बउनवानी पन्ना बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में प्रथम दृष्टया पन्ना पुत्र पॉचू जाति गुर्जर ने अपना कब्जा साबित करते हुए स्थगन प्राप्त किया है। उक्त आराजी पर उसका वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। कब्जे के रूप में उसने दो दुकाने भी बना रखी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 पन्ना पुत्र पॉचू को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री बाबत् किसी प्रकार का अवसर नहीं मिला है जबकि विवादित आराजी पर सिविल न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अपीलांट का कब्जा माना है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में पीड़ित पक्षकारों को बिना अवसर दिये निर्णित किया है जो विधि सम्मत नही है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किया जाना उचित समझते है कि वे प्रकरण में सभी पीड़ित/प्रभावित पक्षकारो को जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, वाद पत्र का पुनः निस्तारण गुंणावगुण पर करें।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पीड़ित/प्रभावित पक्षकारो को जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, वाद पत्र का चाहे गये अनुतोष अनुसार पुनः निस्तारण गुंणावगुण पर करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर